


न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 37/2020-21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. नेकेया पहान वो 2. सुनिल पाहन
स्वाति आईन्द

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित																
07.08.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. नेकेया पहान पिता स्व0 चंदर पाहन वो 2. सुनिल पाहन पिता स्व0 राम पाहन दोनों ग्राम-महुवाटोली, थाना खूँटी जिला खूँटी ने स्वाति आईन्द पिता बेनेदिक आईन्द ग्राम-तिरला, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">महुवाटोली</td> <td rowspan="3">85</td> <td>29</td> <td>300</td> <td>0.14</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>303</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0.16</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0180904509 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 604 दिनांक 29.07.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम आसीन पाहन वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार आसीन पाहन वगैराह के नाम भूमि का रकबा 56.62 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.69 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित 65299.00(पैसठ हजार दो सौ निनानब्बे)रु0 प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.53 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>क्रेता द्वारा समर्पित शपथ पत्र सं0- 95 दिनांक 07.08.2020 के अनुसार स्वाति आईन्द वर्तमान में अविवाहित है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. नेकेया पहान पिता स्व0 चंदर पाहन वो 2. सुनिल पाहन पिता स्व0 राम पाहन को स्वाति आईन्द पिता बेनेदिक आईन्द के साथ ग्राम महुवाटोली के खाता सं0 29 खेसरा संख्या 300, 303 का कुल रकबा 0.16 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 65299.00(पैसठ हजार दो सौ निनानब्बे)रु0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	महुवाटोली	85	29	300	0.14	29	303	0.02			0.16	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)														
महुवाटोली	85	29	300	0.14														
		29	303	0.02														
				0.16														